



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8178 वर्ष 2026

लल्ला उर्फ मो. आसिफ़

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 321 सन् 2026, धारा 115(2), 318(4), 308(5) बी.एन.एस., थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर में प्रस्तुत किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है, तथापि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका अथवा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा गया है। मुख्य आरोप सह-अभियुक्त फिरोज आलम तथा मनीष के विरुद्ध हैं। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के मामले से अलग स्थिति में है। आवेदक को उन्हीं आरोपों के आधार पर बार-बार झूठा फंसाया जा रहा है। वर्तमान मामला मुकदमा अपराध संख्या 321 सन् 2026 है। आवेदक के विरुद्ध उल्लिखित अन्य दो मामले मुकदमा अपराध संख्या 322 सन् 2026 तथा 317 सन् 2026 हैं, जो सभी थाना-चकरी, जनपद-कानपुर नगर में दर्ज हैं।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि वे आवेदक द्वारा उसके आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप परिलक्षित नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की कोई तारीख अथवा समय भी उल्लिखित नहीं है। मुख्य रूप से, विवाद सूचनादाता तथा सह-अभियुक्त मनीष के बीच प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलंब से दर्ज की गई प्रतीत होती है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के मामले से भिन्न प्रतीत होता है।



7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक **लल्ला उर्फ मोहम्मद आसिफ** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर अभिमत नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

सचिन